# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 1982/भाद्र 26, 1904
NO. 416] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 1982/BHADRA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation


## उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1982

का०आ० 674 (अ)/18क/आई०डी०ए०/82.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास विभाग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 608(अ)/18क/आई० डी०आर०ए०/72, तारीख 18 सितम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण 17 सितम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था ।

और भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 638 (अ)/18क/आई०डी०आर० ए०/77, तारीख 26 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश को 17 सितम्बर, 1979 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है विस्तारित किया गया था ;

और भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 520 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/79 तारीख 17 सितम्बर, 1979, का०आ० 704 (अ)/18क/आई०जी०आर०ए०/81, तारीख 17 सितम्बर, 1981 तथा का० आ० 138 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 17 मार्च, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 17 सितम्बर, 1982 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1982 तक की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 2(13)/80-सीयूएस]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY
### (Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 17th September, 1982

**S.O. 674(E)/18A/IDRA/82.**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 608(E)/18A/IDRA/72, dated the 18th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta has been taken over for a period upto and inclusive of the 17th September, 1977.

And, whereas by the Order of the Government of India No. S.O. 638(E)/18/IDRA/77, dated the 26th August, 1977 the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 17th September, 1979 ;

And, whereas by the Orders of the Government of India No. S.O. 520(E)/18A/IDRA/79 dated the 17th September, 1979, No. S.O. 704(E)/18A/IDRA/81 dated the 17th September, 1981 and S.O. 138(E)/18A/IDRA/82 dated the 17th March, 1982, the duration of the said Order was further extended for a further period upto and inclusive of the 17th September, 1982 ;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st December, 1982 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1982.

[F. No. 2(13)/80-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982